



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 11, 2017/आश्विन 19, 1939

No. 392]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2017/ASVINA 19, 1939

भारतीय दन्त परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2017

सं. डीई-22(12)-2017.—भारतीय दन्त परिषद, दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में प्रदान की गई स्वीकृति और मौजूदा विनियम जोकि भारत सरकार के असाधारण गजट के भाग—III, खण्ड—4 में (नये दन्त कॉलेजों की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) दिनांक 12.01.2006 को भारतीय दन्त परिषद प्रधान विनियम 2006” अधिसूचित किये गये थे, में निम्नानुसार संशोधन करती है:—

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण :

(i) ये विनियम “भारतीय दन्त परिषद (नये दन्त कॉलेजों की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) (12वाँ संशोधन) विनियम-2017” कहा जायेगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय दन्त परिषद (नये दन्त कॉलेजों की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) विनियम 2006, जोकि भारत सरकार के असाधारण गजट के भाग—III के खण्ड—4 में दिनांक 12.01.2016 को प्रकाशित हुये थे, में से निम्नलिखित अर्हता कसौटी के बिन्दु 13बी जैसा कि उसमें निहित है, को हटाया जाता है।

“दन्त कॉलेज में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिये वांछनीयता और व्यवहार्यता के संबन्ध में प्रमाण-पत्र कॉलेज द्वारा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, से प्राप्त कर लिया है।”

3. भारतीय दन्त परिषद (नये दन्त कॉलेजों की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) विनियम, 2006 में विनियम 19 खण्ड (सी) के मौजूदा परन्तुक को नीचे दिये परन्तुक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“(सी) आवेदक ने दन्त कॉलेज में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिये वांछनीयता और व्यवहार्यता के संबंध में प्रमाणपत्र राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, प्राप्त कर लिया है; स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिये इसकी आवश्यकता नहीं है।”

डॉ. सब्यसाची साहा, सचिव

[विज्ञापन—III/4/असा./263/17]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियम, नामश्या, “डी.सी.आई.” (नये दन्त कॉलेजों की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) विनियम, 2006” दिनांक 12.01.2006 की अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार के असाधारण राजपत्र के भाग—III के खण्ड—4 में प्रकाशित और दिनांक 16.01.2006, 21.02.2006, 03.11.2006, 22.05.2012, 11.03.2016, 05.07.2017, 05.07.2017 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किये गये थे।

DENTAL COUNCIL OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2017

No. DE-22(12)-2017.— In exercise of the powers conferred upon the Dental Council of India under Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Amendment to the existing Principle “DCI (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006”, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 12.01.2006 namely:—

1. Short title and Commencement:—

(i) These Regulations may be called the “Dental Council of India (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (12th Amendment) Regulations, 2017.”

(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In “DCI (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006”, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 12.01.2006”, the following shall be deleted against point 13 (b) of the Qualifying Criteria as indicated therein:-

“the certificate regarding desirability and feasibility for starting a new or higher course of study or training at the dental college has been obtained by the college from the State Government or the Union Territory administration, as the case may be;”

3. In the “Dental Council of India (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006”, the existing proviso of regulation 19 clause (c) be substituted with the following proviso, as under:—

“(c) the certificate regarding feasibility and desirability for increasing admission capacity at the dental college has been obtained by the applicant from the State Government or the Union territory administration, as the case may be; the same is not required for increasing admission capacity in post-graduate course/s”

Dr. SABYASACHI SAHA, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./263/17]

Foot Note: The Principle Regulation namely, the “DCI (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006” were published in Part III, Section, Section (4) of the Gazette of India, Extraordinary, on vide Notification dated the 12th January, 2006 and amended vide notification dated 16.01.2006, 21.02.2006, 03.11.2006, 22.05.2012, 11.03.2016, 05.07.2017, 05.07.2017.